राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1022/2017/जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–I, जोन–III, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड,
ए/19, सहकार भवन के पास, भवानी सिंह रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 135/अ.प्रा.–।।/सीएसटी/जयपुर/2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, सम्भाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.5.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत की गई बिक्री पर करमुक्ति के क्लेम की जांच की जाने पर यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 10,56,47,191/– की राशि में से रूपये 3,92,86,785/– की राशि के अन्तर्राज्यीय विक्रय सम्बन्धी घोषणा पत्र ई–1 पेश नहीं किये गये थे, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर 15 प्रतिशत की दर से कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में यह तर्क दिया गया था कि घोषणा पत्र ई–1 प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं, परन्तु बिक्री के सम्बन्धित क्रेता से घोषणा पत्र 'सी' प्राप्त कर लिये गये हैं, फलतः उस बिक्री पर 15 प्रतिशत की दर से

लगातार.....2

कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है, बल्कि 'सी' फॉर्म के समर्थन से की गई बिक्री पर 2 प्रतिशत से ही करदेयता आकर्षित होती है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय **पोडीसाला सिवईआ बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश निर्णय दिनांक 30.11.1982 (55 एस.टी.सी. 58)** के आलोक में पुनः कर दर सम्बन्धी निर्णय पारित करें। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को घोषणा पत्र ई–1 प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये कि वे दो माह में बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेश को राजस्व द्वारा इस अपील में चुनौती दी गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. राजस्व की ओर से प्रतिप्रेषित किये गये अपीलीय आदेश को अविधिक बताया गया एवं कथन किया कि घोषणा पत्र ई–1 फॉर्म के अभाव में पूर्ण कर दर से करारोपण किये जाने का कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है तथा इसी तरह घोषणा पत्रों के लिये समय दिया जाना भी अनुचित बताया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 'सी' फॉर्म प्रस्तुत होने से उस अनुसार कर दर आरोपित किये जाने के जो निर्देश दिये हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है एवं उन्हें घोषणा पत्र ई–1 प्रस्तुत करने का समय दिये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है क्योंकि केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957 के नियम 12(7) के आलोक में उचित रूप से समय प्रदान किया गया था, फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. उक्त प्रकरण में अपीलीय आदेश के अवलोकन पर स्पष्ट है कि घोषणा पत्र ई–1 प्रस्तुत नहीं होने से उन्हें धारा 6(2) का लाभ प्रदान नहीं होने की स्थिति में अन्तर्राज्यीय व्यवहार में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत कर दर सम्बन्धी निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए उसके आलोक में पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के संव्यवहारों को केन्द्रीय अधिनियम के तहत ही बिक्री होना स्वीकार करते हुए

लगातार.....3

कर निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(1) (बी), 6(2) एवं 8(1) के प्रावधानों के प्रकाश में कर दर सम्बन्धी अभिनिर्धारण किये जाने का निर्देश दिया जाना विधिसम्मत है, इसी तरह घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिये जो दो माह का समय दिया गया है वह पूर्व में ही समाप्त हो चुका है तथा प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया है, फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर, कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय आदेश की पालना करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष